

24/12/2020



## समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक-1215/राठ

प्रेषक,

उपायुक्त,  
लातेहार।

सेवा में,

रूप निदेशक,  
पलामू व्याघ्र परियोजना,  
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

दिनांक 17/12/2020

विषय:-

स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त गैर-वनभूमि की  
अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-1239, दिनांक-06.10.2020।

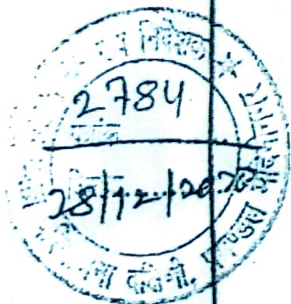
महोदय,

उपर्युक्त विषय १८ प्रसंग के संबंध में कहना है कि दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू व्याघ्र  
आरक्ष, मेदिनीनगर के वारेसाड प्रखंड में कोर शेड में बसे वन ग्राम कुजलूम एवं लदू को पलामू व्याघ्र  
आरक्ष की परिधि से बाहर पुनर्स्थापित 1000 जना निर्मित वन भूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि की  
अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदित किया गया है कि  
ग्रामीणों की सहमति से वन ग्राम 1) स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु लातेहार जिला अंतर्गत गारु बंचल के  
मौजा लाई-पैलापरखल में 47 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित किया गया है। उक्त संदर्भ में लातेहार जिला  
अंतर्गत वन ग्राम से स्वैच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त गैर-वनभूमि उपलब्ध नहीं  
है।

सूचनाार्थ प्रेषित

दिस्वसमाजन

उपायुक्त, लातेहार।



31/8/21

Mukesh Kumar  
I.F.S.

Deputy Director  
Palamau Tiger Project  
South Division, Medinipur.



कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

Phone No-06562-228008

(राजस्व शाखा)

email.id-officeadditional@gmail.com

पत्रांक 929 / रा.0, दिनांक 24/7/2020

वक,

उपायुक्त,  
पलामू।

सेवा में,

उप निदेशक,  
पलामू व्याघ्र परियोजना  
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :-

दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू व्याघ्र आरक्ष, मेदिनीनगर के कोर क्षेत्र से वनग्राम के स्वेच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-715, दिनांक-09.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू व्याघ्र आरक्ष, मेदिनीनगर के कोर क्षेत्र से वनग्राम के स्वेच्छिक पुनर्स्थापन हेतु वनभूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-881, दिनांक-08.07.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर से वन भूमि के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि के अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा अपने पत्रांक-428, दिनांक-10.07.2020 से प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का में उपलब्ध राजस्व कागजात एवं भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पूरे अंचल अन्तर्गत सुरक्षित वन भूमि 588.10 एकड़ के अतिरिक्त उपयुक्त भूमि नहीं है।

अतः उक्त जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

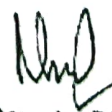
विश्वात्मजान

उपायुक्त,  
पलामू।



**Mukesh Kumar**  
I.F.S.

Deputy Director  
Palamau Tiger Project  
South Division, Medininaga:



Deputy Director  
Palamau Tiger Project  
South Division